

प्रेषक,

एस०एस० टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

3615

सेवा मे,

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक

15 अक्टूबर, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या- 797/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-थाली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे०का०, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगमन, जिसकी लम्बाई 19.00 किमी० तथा लागत रु० 128.44 लाख है, पर विभागीय टी०ए०सी० द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि रु० 128.44 लाख (रु० एक करोड़ अठवाईस लाख चौवालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु रु० 0.10 लाख (रु० दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश स०:-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना-रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगमन ने उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियन्त्रनुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय क्षमता न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बंधत हो रही है तो उसका सन्तुष्टोंजन विस्तृत आगमन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना चुनौतिशील करें।

(v)- आगमन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदाचित न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रॉल्स-2017 एवं उक्त के विषय में सन्दर्भ समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट नेटुजल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश स०:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगमन गठित करते समय कड़ाई से बहुतालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगमन में एन०पी०वी०, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफिटिंग आदि मदों के सन्दर्भ में यथावश्यक व्यय अनुदान स०-22 लेखार्थीर्षक-5054 सङ्कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत विषय-04 जिला तथा अन्य सङ्कों-337-सङ्क निर्माण कार्य-04-सङ्क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि

(C.P.C. Afterstw)

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०निं०वी०
कण्ठप्रयाग

9

अधिग्रहण-00-24 वृहत निर्माण कार्य ने विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निर्वर्तन पर रखी जाने धनराशि से किया जायेगा।

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्य को गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2019 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निर्वर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परियय-04 जिला तथा अन्य सड़क-337-सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 497/XXVII/(2)/2018 दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एस०एस० टोलिया)

संयुक्त सचिव

संख्या- / 111(2) / 18-05(एम०एल०ए०) / 2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजस देहरादून।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, चमोली।
4. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, पौड़ी गढ़वाल।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, सातवॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रा०ख०, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

C.P.C. Altested

(जीवन सिंह)
उप सचिव

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग